न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या

13/2020

हनुमान सैन ग्राम सदापुरा पोस्ट लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15-7-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 16-03-2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी:-

1-आम आदमी पार्टी टोंक के द्वारा दिनांक 23-12-2019 को ज्ञापन देने के बाद में आपके व विभाग द्वारा अब तक प्रार्थना पत्र प्राप्ति के बाद जाच करके जो भी कार्यवाही की गई हो उनकी सत्यापित प्रतिलिपि देवे व विभाग के द्वारा किन-किन अधिकारी या, अन्य के खिलाफ में की गई एफआईआर की गई तो एफआईआर की प्रति देवे।

2- व अब तक जांच में दोषी पाई गई सरपंच व सचिव से राशि की वसूली कर एफआईआर नही की तो उसका क्या कारण है उसकी सत्यापित प्रति देवे।

अपीलार्थी को निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा) अति0 जिला कलेक्टर टोंक से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 337 दिनांक 24-6-2020 द्वारा जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा) अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 1862 दिनाक 01-7-2020 से अवगत कराया की अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (विकास शाखा) से सम्बधित होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (विकास शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया था जिसकी सूचना आवेदक को दे दी

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:52:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गई थी। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (विकास शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने सूचना उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के आवेदक का प्रार्थना पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को अन्तरित कर सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक से प्राप्त करने हेतु सूचना आवेदक को दे दी गई थी। किन्तु आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जबकि नियमाानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद टोंक के प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख जिला परिषद टोंक को करनी चाहिये थी। अपील अपीलांट न्यायालय हाजा में गलत रूप से दायर की गई है जो चलने योग्य नहीं होने से अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी प्रभारी एंव अधिकारी (विकास शाखा) को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:52:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner